हिमाचल प्रदेश चौदहवीं विधान सभा

दशम् सत्र

समाचार भाग-1

संख्या : 91

बुधवार, 3 दिसम्बर, 2025/12 मार्गशीर्ष, 1947(शक्)

सदन की कार्यवाही का संक्षिप्त अभिलेख

समयः 11.00 बजे (पूर्वाह्न)

सदन की बैठक माननीय अध्यक्ष श्री कुलदीप सिंह पठानिया की अध्यक्षता में 11.00 बजे पूर्वाह्न आरम्भ हुई।

1. **प्रश्नोत्तरः**

(1) **तारांकित :**

तारांकित प्रश्न संख्या : 3316 (स्थगित)

जैसे ही माननीय सदस्य डॉ0 जनक राज ने उक्त तारांकित प्रश्न पर अपना अनुपूरक प्रश्न पूछा तो माननीय अध्यक्ष ने निम्नलिखित रूलिंग दीः-

Ruling by the Hon'ble Speaker

"This will not go on record. This is not the supplementary. I have not allowed you to debate on the issue."

माननीय सदस्य डॉ0 जनक राज ने कहा कि आर0टी0आई0 में निहित है कि 30 दिनों के अंदर सूचना उपलब्ध करवा दी जाएगी।

Ruling by the Hon'ble Speaker

"That is apart from the issue. We are not discussing the RTI here. This is the Question Hour. Hon'ble Chief Minister will supply the information."

तारांकित प्रश्न संख्या : 3333 व 3352 (स्थगित) तथा तारांकित प्रश्न संख्याः 3719, 3721, 3722, 3723 तथा 3725 व 3726 के उत्तरों पर माननीय सदस्यों द्वारा अनुपूरक प्रश्न पूछे गए तथा मा0 मुख्य मन्त्री/संबंधित मंत्रियों द्वारा उत्तर दिए गए।
तारांकित प्रश्न संख्याः 3720 पर सदस्य की अनुपस्थिति के कारण अनुपूरक प्रश्न नहीं पूछा गया।
तारांकित प्रश्न संख्याः 3724 के उत्तर पर सम्बन्धित सदस्य द्वारा संतुष्टि व्यक्त की गई। अतः कोई अनुपूरक प्रश्न नहीं पूछा गया।
तारांकित प्रश्न संख्या : 3727 से लेकर 3764 तक के उत्तर संबंधित मंत्रियों द्वारा दिए गए समझे गए।

(2) **अतारांकित :**

अतारांकित प्रश्न संख्या :, 1427 व 1436 (स्थगित) तथा अतारांकित प्रश्न संख्या : 1501 से 1519 तक के उत्तर सभापटल पर रखे गए।

अध्यक्ष महोदय के उद्‌गार

"इससे पहले कि शून्यकाल की प्रोसीडिंग्स टेक अप करूं, मैं माननीय सदन को सूचित करना चाहूंगा कि हमारी वी0आई0पी0 गैलरी में Hon'ble Speaker, Ven. Khenpo Sonam Tenphel and Deputy Speaker, Mrs. Dolma Tsering Teykhang of the Tibetan Government-in-exile आज की प्रोसीडिंग्ज को देखने के लिए सदन में आई हैं। इनके साथ Tibetan Government-in-exile at Dharamshala के 10 अन्य माननीय सदस्य भी प्रोसीडिंग्ज देखने के लिए आए हैं, मैं इन सभी का स्वागत करता हूं।"

शून्यकाल

(1) **माननीय सदस्य श्री इन्द्र सिंह** ने बल्ह विधान सभा क्षेत्र के कांसाखड्ड में डी0ए0वी0 स्कूल द्वारा लगाए जा रहे डंगे से स्थानीय लोगों में व्याप्त गम्भीर चिंता का विषय सदन में उठाया और बताया कि यह निर्माण कार्य प्राकृतिक जलधारा के प्रवाह को बाधित कर रहा है जिससे कटाव, जलभराव और सुरक्षा को जोखिम पैदा हो रहा है। माननीय मुख्य मंत्री से निवेदन है कि इस मामले में सरकार गहन विचार करके इस समस्या का समाधान निकाले। मुख्य मंत्री जी से इस संबंध में पूर्व में बात की गई है कि जो डी0ए0वी0 स्कूल डडोर की जमीन है या तो उसे तबदील किया जाए या कोई अन्य समाधान निकाला जाए ताकि यह विवाद खत्म हो सके।

माननीय अध्यक्ष द्वारा व्यवस्था

"माननीय सदस्य द्वारा जो विषय माननीय सदन के ध्यान में लाया गया है विधान सभा सचिवालय इस पर गंभीर है। आपके इस विषय को संबंधित विभाग को प्रेषित कर दिया जायेगा। इस पर की गई कार्रवाई से आपको तथा माननीय सदन को भी अवगत करवा दिया जायेगा।"

(2) **माननीय सदस्य श्री मलेन्द्र राजन** ने विद्युत विभाग में आउटसोर्स पर लगे टेक्निकल स्टॉफ के कर्मचारियों की कार्य के दौरान आकस्मिक मृत्यु उपरांत मुआवजा देने के संबंध में सदन का ध्यान आकर्षित किया। उन्होंने कहा कि कर्मचारियों की दुर्घटना व मृत्यु होने की स्थिति में क्या सरकार की ओर से कोई मुआवजा राशि का प्रावधान किया जाएगा? उनका सुझाव है कि ड्यूटी पर तैनात करने से पहले ऐसे कर्मचारियों के लिए सरकार की ओर से लाइफ इंश्योरेंस की जाए ताकि इनके परिवारों की आने वाले समय में आर्थिकी में सुधार हो सके। उद्देश्य केवल यही है कि ये लोग बहुत जोखिम भरा काम कर रहे हैं और इनके लिए कोई ठोस नीति नहीं है, इसलिए कोई पॉलिसी का निर्माण करके इनकी दुर्घटना या मृत्यु होने पर सरकार की ओर से उचित मुआवजा राशि प्रदान की जाए।

Ruling by the Hon'ble Speaker

"I think nobody wants to intervene and issue pertains to the framing of some policy, naturally the issue is very serious. I hope that this Secretariat has taken a cognizance of this issue also. We will convey

your sentiments to the respective department to take further necessary action in this matter. The action taken will be conveyed to you and to the Vidhan Sabha Secretariat also."

(3) **माननीय सदस्य श्री बलबीर सिंह वर्मा** ने चौपाल विधान सभा क्षेत्र के अंदर सिविल हॉस्पिटल नेरवा व चौपाल और कम्युनिटी हेल्थ सेंटर कुपवी, मडावग, बलघार में डॉक्टर एवं स्टाफ नर्सों की खाली पड़ी पोस्टों की वजह से उत्पन्न विकट स्थिति की ओर सदन का ध्यान आकर्षित किया तथा माननीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री से आश्वासन चाहा कि इन स्वास्थ्य संस्थानों में स्टाफ की पूर्ति कब तक कर दी जाएगी। इसके अतिरिक्त उन्होंने सिविल हॉस्पिटल नेरवा में अल्ट्रासाउंड मशीन उपलब्ध करवाने की बात भी की क्योंकि उनके विधान सभा क्षेत्र के लोगों को विशेषकर मातृ शक्ति को अल्ट्रासाउंड करवाने के लिए 200-250 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है।

माननीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ने कहा कि माननीय सदस्य ने जो विषय माननीय सदन में उठाया है, इसमें कोई दोराय नहीं है कि इनके क्षेत्र में डॉक्टर्स की कमी है। अभी हाल ही में 232 डॉक्टर्स की भर्ती की जा रही है और उनमें से इनके क्षेत्र में भी डॉक्टर्स नियुक्त किए जाएंगे। So far as the matter of ultrasound machine is concerned, the machine is soon be purchased by the Department and will give to him.

(4) **माननीय सदस्य श्री इन्द्र दत्त लखनपाल** ने हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय का मामला माननीय सदन में उठाया और कहा कि दिसम्बर 2014 में रूसा के तहत 01 करोड़ रुपये रेन हार्वेस्टिंग के लिए स्वीकृत हुआ था लेकिन आज तक भी इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। यह पैसा वहां पर नहीं लगा है और कोई भी रेन हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर नहीं बनाया गया है। इसके संदर्भ में माननीय राज्यपाल को भी शिकायत पत्र लिखा गया है और उन्होंने इसकी पूरी रिपोर्ट राज्यपाल सचिवालय के माध्यम से मंगवाई है। विजिलेंस के तहत भी इसका केस दर्ज हुआ लेकिन आज तक 11 वर्षों में यह केस आगे नहीं बढ़ा है। इसके क्या कारण हैं, इस पर कब तक कार्रवाई की जाएगी, क्या सरकार इसमें संलिप्त अधिकारियों पर नियमानुसार कोई कार्रवाई करेगी?

Ruling by the Hon'ble Speaker

"I want to inform the House that I have allowed the Zero Hour to raise certain important issues pertaining to your constituency, that too a recent occurring. This issue pertains to 11 years back. Eleven years back issue cannot be raised, however, you have raised this issue, we have taken cognizance of the issue. The Vidhan Sabha Secretariat will be writing to the respective Department as well as to the University also that what action the department or the University has taken in this regard. You have said that some enquiry was also instituted and the Governor Office is also seized of the matter. So we will collect all the information and then thereafter let to you."

(5) **माननीय सदस्य श्री रणधीर शर्मा** ने सोलधा पंचायत के पंचायत घर एवं कट्टल गांव के खेल मैदान के निर्माण कार्यों में हो रहे विलम्ब के संदर्भ में शून्य काल के दौरान मामला सदन में उठाया तथा माननीय मंत्री जी से आग्रह किया कि वे इन मामलों में तुरंत कार्रवाई करें।

माननीय आयुष मंत्री ने कहा कि खेल एवं युवा सेवाएं विभाग हर साल 15 लाख रुपये माननीय सदस्यों के कहने पर उनकी इच्छानुसार प्रदान करता है। माननीय सदस्य द्वारा संज्ञान में लाई गई बात यह है कि जो पैसा दिया गया था, उस पर पी0डब्ल्यू0डी0 विभाग ने टेंडर जारी किया है लेकिन फिर भी काम पूरा नहीं हो पाया है। खेल विभाग पी0डब्ल्यू0डी0 विभाग से बात करके इस पर कार्रवाई करेगा और उस काम को जल्द-से-जल्द पूरा करने का प्रयास करेगा।

Ruling by the Hon'ble Speaker

"दूसरा विषय जो माननीय सदस्य श्री रणधीर शर्मा द्वारा इस सदन के ध्यान में लाया गया है, we have taken cognizance of that and will inform you also. We will ask the Department to start the work because the budget is available. We will also get to know from the Department that why the work has not been started and why they have delayed it."

(6) **माननीय सदस्य श्री सुरेन्द्र शौरी** ने राजकीय महाविद्यालय सैंज और राजकीय महाविद्यालय गाड़ागुशेनी जिला कुल्लू में भवन निर्माण का विषय सदन के ध्यान में लाया। उन्होंने सिविल अस्पताल बंजार, आयुर्वेदिक अस्पताल बजौरा और आई.टी.आई. सैंज की बिल्डिंग के अधूरे पड़े निर्माण कार्य का भी विषय उठाया तथा सरकार से आग्रह किया कि इन सभी भवनों के लिए बजट का प्रावधान किया जाए व जो काम अब तक रुका हुआ है, उसे शीघ्र पूरा किया जाए ताकि कॉलेज की बिल्डिंग बच्चों को समर्पित की जा सके।

अध्यक्ष महोदय द्वारा व्यवस्था

"यह विषय बजट से संबंधित है। माननीय सदस्य द्वारा सदन में जो भावनाएं और विषय रखे गए हैं, उन्हें संबंधित विभाग को सूचित किया जाएगा। जो भी सूचना वहां से प्राप्त होगी, उससे माननीय सदस्य को अवगत करवा दिया जाएगा।"

माननीय आयुष मंत्री ने कहा कि माननीय सदस्य जिस आयुर्वेदिक अस्पताल बजौरा की बात कर रहे हैं, उसका काम पिछली सरकार द्वारा शुरू किया गया था। वर्ष 2023 में भारी बरसात के कारण प्रदेश में आपदा आई और इस आपदा से अस्पताल का एक हिस्सा पानी में बह गया। जिससे उसका आधा भाग टूट चुका है। विभाग के पास आयुर्वेदिक अस्पताल बजौरा की बिल्डिंग के लिए पर्याप्त बजट उपलब्ध है। इसलिए माननीय सदस्य को किसी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। शेष बिल्डिंग का काम भी पूरा कर दिया जाएगा।

(7) **श्री केवल सिंह पठानिया, उप-मुख्य सचेतक** ने गद्दी समुदाय की बाड़ी, हाली, सिप्पी, डोगरी, रेहाड़े, लोहार, ब्राह्मण, जट्ट, राजपूत, खन्नी, ठाकुर, राठी, तरखान आदि उप-जातियों को जनजातीय दर्जा प्रदान करने हेतु माननीय सदन में विषय रखा।

Ruling by the Hon'ble Speaker

"Again very important issue which the Hon'ble Member have brought before the House. We have taken a cognizance of this issue also and we will take up this issue with the Revenue Department for further action at their end and whatever action the department will be taking

or has taken, you will be informed accordingly and we will also inform this House."

(8) **माननीय सदस्य श्री राम कुमार** ने आधार कार्ड में शुद्धिकरण का मामला सदन में उठाते हुए कहा कि जिन लोगों की आधार कार्ड में आयु गलत अंकित हुई है उसमें दिक्कत यह है कि जब वे अपना आधार कार्ड सही करवाने लोकमित्र केंद्र जाते हैं तो उन्हें सुझाव दिया जाता है कि वे चंडीगढ़ जाएं। लेकिन जब वे चंडीगढ़ जाते हैं तो वहां भी उनके आधार कार्ड को करेक्ट नहीं किया जाता। इसलिए माननीय मुख्य मंत्री से आग्रह है कि प्रदेश सरकार कोई ऐसा प्रावधान करे कि हमारे यहाँ के लोकमित्र केंद्रों में ही आधार कार्ड का करेक्शन हो सके।

<u>Ruling by the Hon'ble Speaker</u>

"एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय इस माननीय सदन के ध्यान में लाया गया है और हमने इसको रजिस्टर किया है and we will ask the Government to take further necessary action in this matter and the action taken will be conveyed to you and that will be a part of the record also."

(9) **माननीय सदस्य श्री जीत राम कटवाल** ने शून्य काल में झंडुता चुनाव क्षेत्र से संबंधित राजस्व अधिकारियों के रिक्त पदों के बारे में सरकार का ध्यान आकर्षित किया तथा हाई कोर्ट द्वारा एक एच0ए0एस0 महिला अधिकारी जोकि तहसीलदार के पद पर कार्यरत थी, के संदर्भ में पारित एडवर्स ऑर्डर का भी जिक्र किया।

<u>माननीय अध्यक्ष द्वारा व्यवस्था</u>

"माननीय सदस्य श्री जीत राम कटवाल जी ने अपने निर्वाचन क्षेत्र से संबंधित रिक्तियों की स्थिति का मुद्दा उठाया है, जिसका उल्लेख प्रश्नकाल में भी हुआ था और जिस पर माननीय मंत्री जी ने विस्तृत उत्तर भी दिया है। फिर भी विधानसभा सचिवालय इस विषय में राजस्व विभाग को पुनः अवगत कराएगा और की गई कार्रवाई की जानकारी हमें तथा आपको भी उपलब्ध कराई जाएगी। The second matter pertains to the Court and we are not taking a cognizance of this issue."

(10) **माननीय सदस्य कुमारी अनुराधा राणा** ने जिला लाहौल में बालन लकड़ी की नियमित आपूर्ति में आ रही गम्भीर समस्याओं की ओर सदन का ध्यान आकर्षित किया तथा बताया कि कठोर भौगोलिक परिस्थितियों और सर्द मौसम को देखते हुए लाहौल क्षेत्र के ग्रामीणों को शीतकाल में ऊष्मा एवं भोजन पकाने हेतु बालन लकड़ी पर अत्यधिक निर्भर रहना पड़ता है इसलिए बालन लड़की की आपूर्ति सुचारू रूप से की जानी सुनिश्चित की जाए। इसके लिए सरकार कड़ी कार्रवाई करे।

<u>माननीय अध्यक्ष द्वारा व्यवस्था</u>

"माननीय सदस्या ने एक महत्वपूर्ण विषय माननीय सदन के ध्यान में लाया है। इसका हमने संज्ञान भी लिया है और जो आपने अपनी भावनाएं व्यक्त की हैं, उनको सरकार व विभाग तक भी पहुंचायेंगे तथा इस बात को भी सुनिश्चित करेंगे कि लाहौल-स्पिति में सारी औपचारिकताओं को पूरा करते हुए बालन की कमी को जल्द-से-जल्द पूरा किया जाए।

(11) **माननीय सदस्य श्री नीरज नैय्यर** ने विषय उठाया कि चम्बा में जवाहर लाल नेहरू मेडिकल कॉलेज के लिए सरकार ने 175 करोड़ रुपये उसके फर्स्ट फेज़ को कम्प्लीट करने के लिए दिए थे। उसके फर्स्ट फेज़ का कार्य टोटली कम्प्लीट है। लगभग 8-9 महीने उस बिल्डिंग का कार्य पूर्ण हुए हो चुके हैं। मिंजर के मेले में उसको नीचे शिफ्ट करने की बात चल रही थी लेकिन फर्नीचर और इसके मेडिकल इक्विपमैंट्स के लिए जो पैसा आया था, लगभग 6-7 महीने से उसके टेंडर लगाए गए हैं लेकिन किसी कारण वे आगे स्वीकृत नहीं हो रहे हैं। इस बात पर तुरंत एक्शन लिया जाए।

माननीय स्वास्थ्य एवं कल्याण मंत्री जी पिछले साल चम्बा आए थे। वे भी इनके साथ वहां मेडिकल कॉलेज में गए थे। मंत्री जी को याद होगा कि आपके समक्ष वहां लोकल पंचायत के लोगों ने ऊपर की साइड से उसमें एक एंट्री गेट खोलने की डिमांड रखी थी और आपने वहां मौके पर आश्वासन भी दिया था कि इसको पूरा कर दिया जाएगा। लोक निर्माण विभाग द्वारा उसका एस्टीमेट बनाकर आपके समक्ष भेज दिया गया है। इसके लिए जो भी धन का प्रावधान करना है, वह अतिशीघ्र किया जाए ताकि ऊपर से ही एक छोटी गाड़ी को रास्ता मिल जाए।

उक्त विषय पर स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ने कहा कि माननीय सदस्य ने जो इशूज़ उठाए हैं, I think for the technical reasons, वह सारा बन भी चुका है, they have been delayed but both issues that he has raised will be gone into and action will be taken also."

2. नियम-62 के अन्तर्गत ध्यानाकर्षण प्रस्तावः

(1) **श्री भवानी सिंह पठानिया, सदस्य** ने "To call the attention of the House for the delay in completion of PMGSY Phase-3 in District Kangra" बारे सदन का ध्यान आकर्षित किया।

माननीय लोक निर्माण मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

माननीय सदस्य श्री भवानी सिंह पठानिया जी ने स्पष्टीकरण मांगा।

माननीय लोक निर्माण मंत्री ने स्पष्टीकरण देते हुए अतिरिक्त जानकारी उपलब्ध करवाई।

(2) **श्री राकेश जम्वाल, सदस्य** ने "सुन्दरनगर में स्थित जवाहर पार्क में बाहरी व्यापारियों को मेला लगाने की मंजूरी देने के फैसले से स्थानीय व्यापारियों में रोष से उत्पन्न स्थिति" बारे सदन का ध्यान आकर्षित किया।

(01.02 बजे अपराह्न सदन की बैठक भोजनावकाश के लिए 2.00 बजे अपराह्न तक स्थगित की गई।)

(02.05 बजे अपराह्न सदन की बैठक माननीय अध्यक्ष श्री कुलदीप सिंह पठानिया की अध्यक्षता में पुनः आरम्भ हुई।)

माननीय लोक निर्माण मंत्री ने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर हुई चर्चा का उत्तर दिया।

माननीय सदस्य श्री राकेश जम्वाल ने स्पष्टीकरण मांगा।

माननीय लोक निर्माण मंत्री ने स्पष्टीकरण का उत्तर दिया।

माननीय मुख्य मंत्री ने मा0 लोक निर्माण मंत्री के उत्तर को सप्लीमेंट करते हुए अतिरिक्त जानकारी उपलब्ध करवाई।

3. **विधायी कार्यः**

<u>सरकारी विधेयकों पर विचार-विमर्श एवं पारण</u>

(1) **श्री सुखविन्दर सिंह सुक्खू, मुख्य मन्त्री** ने प्रस्ताव किया कि हिमाचल प्रदेश सरकारी कर्मचारियों की भर्ती और सेवा की शर्तें (संशोधन) विधेयक, 2025 (2025 का विधेयक संख्यांक 20) पर विचार किया जाए।

माननीय अध्यक्ष ने कहा कि उनके पास माननीय सदस्य श्री रणधीर शर्मा की ओर से एक संशोधन आया है। यह संशोधन 10.27 बजे पूर्वाह्न सचिवालय को प्राप्त हुआ। यद्यपि इसका समय 10:00 बजे का है तो that is not within the time. This has been disallowed. यद्यपि वे अपना व्यू प्वाइंट चर्चा में भाग लेकर रख सकते हैं।

माननीय सदस्य श्री रणधीर शर्मा और श्री त्रिलोक जम्वाल ने चर्चा की तथा प्रस्तुत किए गए संशोधन विधेयक को कर्मचारी अहितैषी बताते हुए इसे वापिस लेने का आग्रह किया।

माननीय मुख्य मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

माननीय सदस्य श्री रणधीर शर्मा ने पुनः स्पष्टीकरण मांगा।

माननीय मुख्य मंत्री ने स्पष्टीकरण का उत्तर दिया।

बिल पर खण्डशः विचार हुआ।

खण्ड-2 विधेयक का अंग बने।

खण्ड-1, संक्षिप्त नाम और विधायी सूत्र विधेयक का अंग बने।

श्री सुखविन्दर सिंह सुक्खू, मुख्य मन्त्री ने प्रस्ताव किया कि हिमाचल प्रदेश सरकारी कर्मचारियों की भर्ती और सेवा की शर्तें (संशोधन) विधेयक, 2025 (2025 का विधेयक संख्यांक 20) को पारित किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकार।

"हिमाचल प्रदेश सरकारी कर्मचारियों की भर्ती और सेवा की शर्तें (संशोधन) विधेयक, 2025 (2025 का विधेयक संख्यांक 20) पारित हुआ।"

(2) **श्री हर्षवर्धन चौहान, उद्योग मन्त्री** ने प्रस्ताव किया कि हिमाचल प्रदेश दुकान और वाणिज्यिक स्थापना (संशोधन) विधेयक, 2025 (2025 का विधेयक संख्यांक 24) पर विचार किया जाए।

माननीय अध्यक्ष ने कहा कि इस संशोधन विधेयक पर सदस्य बोल सकते हैं और माननीय उद्योग मंत्री इसका उत्तर देंगे। इस पर माननीय सदस्य श्री रणधीर शर्मा जी ने 10.30 बजे पूर्वाह्न एक संशोधन दिया है। इसको एडमिट तो नहीं किया गया परंतु वे अपने विचारों की अभिव्यक्ति कर सकते हैं।

माननीय सदस्य श्री रणधीर शर्मा और श्री त्रिलोक जम्वाल ने चर्चा की एवं सुझाव दिए तथा प्रस्तुत किए गए संशोधन विधेयक का विरोध करते हुए इसे वापिस लेने का आग्रह किया।

माननीय उद्योग मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

बिल पर खण्डशः विचार हुआ।

खण्ड-2 व 3 विधेयक का अंग बने।

खण्ड-1, संक्षिप्त नाम और विधायी सूत्र विधेयक का अंग बने।

श्री हर्षवर्धन चौहान, उद्योग मन्त्री ने प्रस्ताव किया कि हिमाचल प्रदेश दुकान और वाणिज्यिक स्थापना (संशोधन) विधेयक, 2025 (2025 का विधेयक संख्यांक 24) को पारित किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकार।

"हिमाचल प्रदेश दुकान और वाणिज्यिक स्थापना (संशोधन) विधेयक, 2025 (2025 का विधेयक संख्यांक 24) पारित हुआ।"

(3) **श्री राजेश धर्माणी, नगर एवं ग्राम योजना मन्त्री** ने प्रस्ताव किया कि भू-संपदा (विनयमन और विकास) हिमाचल प्रदेश संशोधन विधेयक, 2025 (2025 का विधेयक संख्यांक 22) पर विचार किया जाए।

माननीय अध्यक्ष ने कहा कि इस संशोधन विधेयक पर माननीय सदस्य बोल सकते हैं। इस पर भी माननीय सदस्य श्री रणधीर शर्मा जी ने संशोधन दिये हैं उसको एडमिट नहीं किया गया है परन्तु फिर भी वे इस पर अपने विचार रख सकते हैं।

माननीय सदस्य श्री रणधीर शर्मा, नेता प्रतिपक्ष श्री जयराम ठाकुर तथा माननीय सदस्य श्री त्रिलोक जम्वाल ने चर्चा की एवं सुझाव दिए तथा प्रस्तुत किए गए संशोधन विधेयक का विरोध करते हुए इसे वापिस लेने का आग्रह किया।

माननीय नगर एवं ग्राम योजना मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

नेता प्रतिपक्ष श्री जय राम ठाकुर और माननीय सदस्य श्री रणधीर शर्मा ने पुनः स्पष्टीकरण मांगा।

माननीय नगर एवं ग्राम योजना मंत्री ने स्पष्टीकरण का उत्तर दिया।

माननीय मुख्य मंत्री ने मा0 मंत्री द्वारा दिए गए उत्तर को सप्लीमैंट करते हुए अतिरिक्त जानकारी उपलब्ध करवाई।

(03.20 बजे अपराह्न विपक्ष के माननीय सदस्य सदन से बहिर्गमन कर गए।)

बिल पर खण्डशः विचार हुआ।

खण्ड-2 व 3 विधेयक का अंग बने।

खण्ड-1, संक्षिप्त नाम और विधायी सूत्र विधेयक का अंग बने।

श्री राजेश धर्माणी, नगर एवं ग्राम योजना मन्त्री ने प्रस्ताव किया कि भू-संपदा (विनयमन और विकास) हिमाचल प्रदेश संशोधन विधेयक, 2025 (2025 का विधेयक संख्यांक 22) को पारित किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकार।

"भू-संपदा (विनयमन और विकास) हिमाचल प्रदेश संशोधन विधेयक, 2025 (2025 का विधेयक संख्यांक 22) पारित हुआ।"

4. नियम-130 के अन्तर्गत प्रस्तावः

(1) **श्री केवल सिंह पठानिया, उप-मुख्य सचेतक** द्वारा दिनांक 27.11.2025 को प्रस्तुत प्रस्ताव - **"प्रदेश में आई आपदाओं से प्रभावितों को आ रही मुश्किलों तथा इस अवधि में सरकार द्वारा किए गए कार्यों पर यह सदन विचार करे"** पर आगे चर्चा जारी -

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-

1. श्री बलबीर सिंह वर्मा

(03.31 बजे अपराह्न श्री संजय रत्न, सभापति महोदय पदासीन हुए।)

(03.34 बजे विपक्ष के माननीय सदस्य सदन में पुनः वापिस आए।)

(सत्ता पक्ष और विपक्ष की तरफ से कुछ माननीय सदस्य अपनी-अपनी जगह पर खड़े होकर शोरगुल करने लगे।)

(सदन की कार्यवाही 05.00 मिनट्स के लिए स्थगित की गई।)

(माननीय सदन की बैठक 03.45 बज़े अपराह्न श्री संजय रत्न सभापति की अध्यक्षता में पुनः आरम्भ हुई)

नेता प्रतिपक्ष श्री जय राम ठाकुर ने विषय उठाया कि अभी बाहर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं का अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन था, वे शांतिपूर्ण ढंग से प्रदर्शन कर रहे थे और स्वाभाविक रूप से जब नौजवान आते हैं तो नारे लगाते हैं लेकिन उनके ऊपर जिस निर्ममता के साथ लाठीचार्ज किया गया है, वे उसकी कड़ी निंदा करते हैं। 10 बच्चे हॉस्पिटलाइज हो गए और दो बेटियां भी घायल हुई हैं। यह गैर-जिम्मेदाराना तरीका है। सरकार यदि इस प्रकार से सोचे कि हम कुचल देंगे, दफन कर देंगे, दबा देंगे तो यह लोकतांत्रिक व्यवस्था में उचित नहीं है जबकि वहां सिचुएशन को बहुत आसानी से हैंडल किया जा सकता था लेकिन इसके बावजूद भी प्रोवोकेशन करते-करते हालात ऐसे पैदा कर दिए कि उनके ऊपर लाठीचार्ज किया गया और बच्चों को बहुत गंभीर चोटें आई हैं तथा बेटियां घायल पड़ी हुई हैं। वे हॉस्पिटलाइज की गई हैं। इससे पता लगता है कि सरकार की सोच सही नहीं है।

नियम-130 के अंतर्गत प्रस्तुत प्रस्ताव पर आगे चर्चा जारी -

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-

माननीय नगर एवं ग्राम योजना मंत्री ने कहा कि आदरणीय बलबीर सिंह वर्मा जी ने यहां पर चौपाल आई0टी0आई0 से संबंधित मुद्दा उठाया है। वहां पर जो लैंडस्लाइड हुआ है उसमें तकनीकी शिक्षा विभाग की तरफ से पी0डब्ल्यू0डी0 चौपाल डिवीजन में 5 लाख रुपये जमा करवा दिए गए हैं। उनसे डिटेल्ड एस्टिमेट मांगा है। जैसे ही एस्टिमेट आएगा तो उस पर आगे कार्रवाई की जाएगी।

2. **श्री भवानी सिंह पठानिया**
3. **श्री सुख राम चौधरी**

माननीय कृषि मंत्री ने स्पष्टीकरण दिया।

माननीय राजस्व मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

(04.48 बजे अपराह्न माननीय अध्यक्ष पदासीन हुए।)

(5.00 बजे अपराह्न सदन की बैठक का समय 7.00 बजे अपराह्न तक बढ़ाया गया।)

माननीय मुख्य मंत्री ने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा किए गए प्रदर्शन और पुलिस के साथ हुए स्कफल के संबंध में विस्तार से वक्तव्य देते हुए स्पष्टीकरण दिया।

तदोपरांत माननीय राजस्व मंत्री ने नियम-130 के अंतर्गत हुई चर्चा का विस्तृत उत्तर दिया।

(05.29 बजे अपराह्न विपक्ष के माननीय सदस्य सदन से बहिर्गमन कर गए।)

माननीय अध्यक्ष द्वारा व्यवस्था

"अब एक और विषय नियम-130 के अंतर्गत आज के बिजनेस में लिस्टेड है और अभी सदन का समय लगभग सवा घण्टा शेष है जोकि बढ़ाया गया है। अब यह विषय चर्चा में आएगा और माननीय सदस्य श्री त्रिलोक जम्वाल जी नियम-130 के अंतर्गत अपना प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे। प्रस्ताव यह है कि 'प्रदेश में बढ़ रहे आपराधिक मामलों तथा नशे के बढ़ते नेटवर्क से उत्पन्न स्थिति पर यह सदन विचार करे।' यद्यपि माननीय सदस्य श्री त्रिलोक जम्वाल जी सदन में उपस्थित नहीं हैं इसलिए अब यह इश्यू ड्रॉप हो जाएगा और अगली लिस्ट में नहीं आएगा।"

05.47 बजे अपराह्न मान्य सदन की बैठक वीरवार, 04 दिसंबर, 2025 के 11.00 बजे पूर्वाह्न तक स्थगित हुई।

*****